राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

वित्त समिति की 13 वीं बैठक दिनांक 24 जून, 2026 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की बैठक विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रशासनिक भवन के मीटिंग कक्ष में दिनांक 24.06.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे आहूत की गयी। जिसमें निम्नलिखित सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. प्रो0 एन0बी0 सिंह, कुलपति – अध्यक्ष
2. डा0 संजीव कुमार वार्ष्णेय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़। – सदस्य
3. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, अलीगढ़ मण्डल। (ऑनलाइन) – सदस्य
4. श्री वैभव कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़। – सदस्य
5. श्री प्रबुद्ध सिंह, कुलसचिव – सदस्य
6. श्री धीरेन्द्र कुमार, परीक्षा नियन्त्रक – सदस्य
7. श्री निजिलिंगप्पा, वित्त अधिकरी – सदस्य सचिव

सर्वप्रथम वित्त अधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया एवं मा0 कुलपति महोदय की अनुमति से कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों द्वारा एजेन्डा के प्रत्येक बिन्दु पर सर्व सम्मति से गहन विचार विमर्श किया गया। कार्यसूची एवं सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं :--

मद संख्या–13.1	वित्त समिति की 12 वीं बैठक दिनांक 23.03.2026 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।
निर्णय	**वित्त समिति की 12 वीं बैठक दिनांक 23.03.2026 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गयी।**
मद संख्या–13.2	वित्त समिति की 12 वीं बैठक दिनांक 23.03.2026 की कृत कार्यवाही की आख्या का संसूचन।
निर्णय	**वित्त समिति की 12 वीं बैठक दिनांक 23.03.2026 की कृत कार्यवाही की आख्या से समिति संसूचित हुयी।**
मद संख्या–13.3	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
निर्णय	**भवन समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
मद संख्या–13.4	विश्वविद्यालय में कार्यरत मै0 अग्रवाल मनोज एण्ड एसोसिएटस, चार्टड एकाउन्टेंट का कार्यकाल दिनांक 31.05.2026 को समाप्त हो गया है। दिनांक 06.05.2026 को सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त पूर्व निर्धारित दर रू0 45000+18प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित अगले एक वर्ष के लिये वृद्धि करने की सहमति प्रदान कर दी गयी है। उक्त का संसूचन।
निर्णय	**वित्त समिति द्वारा उक्त संसूचित हुयी एवं सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
मद संख्या–13.5	रिट याचिका संख्या–सी0 42212/2025 विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री शशी प्रकाश राय द्वारा मामले की पैरवी के लिये वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह को दिनांक 17.03.2026 में सुनवाई हेतु मा0 कुलपति जी की अनुमति उपरान्त किये गये भुगतान का संसूचन।
निर्णय	**वित्त समिति उक्त से संसूचित हुयी एवं सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
मद संख्या–13.6	शिक्षक कल्याण कोष (TWF) के संचालन हेतु गठित समिति की संस्तुति पर विचार।
निर्णय	**वित्त समिति उक्त से संसूचित हुयी एवं सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया कि भविष्य में कोई संशोधन आवश्यक हो तो वित्त**

Scanned with OKEN Scanner

	अधिकारी के प्रस्ताव पर मा0 कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त करते हुये आगामी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
मद संख्या–13.7	विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं को सत्र 2026–27 में उनके आचरण एवं सन्तोषजनक कार्य के दृष्टिगत कुल 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पूर्व में हो, के लिये रू0 30,000/–प्रति माह पर आबद्ध किये जाने पर विचार।
निर्णय	वित्त समिति उक्त के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुतियों से अवगत हुयी तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं को सत्र 2026–27 में उनके आचरण एवं सन्तोषजनक कार्य के दृष्टिगत कुल 11 माह (अल्प कालिक अवधि) अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पूर्व में हो, के लिये रू0 30,000/–प्रति माह पर आबद्ध किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही यह भी निर्देशित किया गया यदि किसी अतिथि प्रवक्ता का कार्य, आचरण–व्यवहार अथवा कोई अन्य तथ्य संज्ञान में आता है जो किसी शिक्षक को सौंपे गये दायित्वों के विपरीत हो तो उनसे कार्य न लेते हुये आबद्धता समाप्त कर दी जाये।
मद संख्या–13.8	तृतीय दीक्षान्त समारोह के आयोजन पर होने वाले व्यय पर विचार।
निर्णय	वित्त समिति पूर्व वित्त समिति दिनांक 23.03.2026 मद संख्या–12.26 एवं गत वर्ष दीक्षान्त समारोह के सफल संचालन में हुये व्यय से अवगत हुयी तथा सर्व सम्मति से तृतीय दीक्षान्त समारोह में होने वाले व्यय रू0 60.00 लाख के स्थान पर 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी यह व्यय अन्य मदों में प्राविधानित बजट व्यवस्था से समायोजन करते हुये किया जायेगा।
मद संख्या–13.9	जेम पोर्टल के माध्यम से हिन्द सिक्योरिटी मैनपावर एजेन्सी के चयनोपरान्त कार्य लिये जाने का संसूचन।
निर्णय	वित्त समिति उक्त से संसूचित हुयी एवं सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या–13.10	तृतीय दीक्षान्त समारोह में कार्यक्रम कराये जाने हेतु आकस्मिक व्यय सम्बन्धी अधिकारियों एवं शिक्षकों को अग्रिम दिये जाने पर विचार।
निर्णय	वित्त समिति द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या–13.11	विश्वविद्यालय परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरा/कैम्पस वाइड (वाई–फाई, वेन/लेन, नेटवर्किंग एवं सर्वर) लगाये जाने एवं बजटीय व्यवस्था किये जाने पर विचार।
निर्णय	वित्त समिति विश्वविद्यालय परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरा/कैम्पस वाइड एरिया नेटवर्किंग (वाई–फाई, वेन/लेन, नेटवर्किंग एवं सर्वर) लगाये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त रू0 600.00 लाख का व्यय बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।
मद संख्या–13.12	इनोवेशन एवं इंक्यूवेशन सेन्टर बनाये जाने एवं बजटीय व्यवस्था किये जाने पर विचार।
निर्णय	इनोवेशन एवं इंक्यूवेशन सेन्टर आवश्यक सुविधाओं के संचालन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु रू0 20.00 लाख का व्यय बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में इनोवेशन फाउंडेशन की धारा 8 की कम्पनी के पंजीकरण पर सहमति प्रदान की गयी तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

	उक्त पर होने वाले व्यय उपरोक्तानुसार प्रस्तावित बजट व्यवस्था रू0 20.00 लाख के अन्तर्गत ही होगा।
मद संख्या–13.13	विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं उद्यमिता केन्द्र (सी0एस0डी0ई0) की स्थापना एवं बजटीय व्यवस्था किये जाने पर विचार।
निर्णय	वित्त समिति विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं उद्यमिता केन्द्र (सी0एस0डी0ई0) की स्थापना के साथ ही आवश्यक सुविधाओं के संचालन हेतु रू0 20.00 लाख की बजटीय व्यवस्था का प्रावधान करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या–13.14	विश्वविद्यालय में प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना एवं बजटीय व्यवस्था किये जाने पर विचार।
निर्णय	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना के साथ ही आवश्यक सुविधाओं के संचालन हेतु रू0 10.00 लाख की बजटीय व्यवस्था का प्रावधान करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या–13.15	राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2759/32–जी0एस0/2026 दिनांक 04.05.2026 के क्रम में विश्वविद्यालय तथा गोद लिये गये ग्रामों में चिकित्सा सम्बन्धी पिंक चिकित्सा वाहन प्रति माह दरों पर लिये जाने एवं बजटीय व्यवस्था किये जाने पर विचार।
निर्णय	वित्त समिति राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2759/32–जी0एस0/2026 दिनांक 04.05.2026 के क्रम में विश्वविद्यालय तथा गोद लिये गये ग्रामों में चिकित्सा सम्बन्धी पिंक चिकित्सा वाहन प्रति माह दरों पर लिये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त रू0 150.00 लाख का बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही यह भी निर्देश दिये गये की विश्वविद्यालय सी0एस0आर0 के अन्तर्गत उक्त मद में व्यय किया जाये।
मद संख्या–13.16	अन्य मद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।
निर्देश	वित्त समिति द्वारा निम्नवत् निर्देशित किया गया कि– 01. तृतीय दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के वी0आई0पी0 सूट में ठहरने, खानपान एवं वायुयान प्रथम श्रेणी तथा स्वागत पर होने वाले व्यय रू0 2.00 लाख की सीमा तक के वास्तविक व्यय का भुगतान किये जाने का सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। 02. तृतीय दीक्षान्त समारोह के दृष्टिगत मा0 कुलाधिपति जी की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कर्मियों के ठहरने एवं खानपान हेतु होटल में रूकवाने की एवं वास्तविक व्यय का भुगतान किये जाने का सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। 03. तृतीय दीक्षान्त समारोह के दृष्टिगत आकस्मिक निधि लगभग रू0 2.00 लाख की व्यवस्था किये जाने की सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। 04. तृतीय दीक्षान्त समारोह में आने वाले मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं कुलाधिपति महोदया आदि को अंगवस्त्र, मोमेण्टो, पुस्तक आदि दिये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त रू0 3.00 लाख की सीमा तक वास्तविक व्यय का भुगतान बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। 05. तृतीय दीक्षान्त समारोह की व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पन्न कराये

Scanned with OKEN Scanner

		जाने हेतु बिजली की अवाध आपूर्ति हेतु 03 दिनों के लिये 500 के0वी0ए0 के 02 जेनसेट जेम पोर्टल से किराये पर लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	06.	विश्वविद्यालय में चयनित सिक्योरिटी गार्ड एजेन्सी क्राऊन सिक्योरिटी सर्विस की सेवाये 03 माह के लिये विस्तरण जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही 10वीं वित्त समिति की मद संख्या–10.22 में जेम पोर्टल के माध्यम से नवीन निविदा की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में माह जनवरी 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे जिनका अभी तक पालन नही हुआ है जिस पर वित्त समिति द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं 03 माह के अन्दर जेम पोर्टल के माध्यम से नवीन फर्म का चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया गया।
	07.	भारतीय ज्ञान परम्परा (आई0के0एस0 सेन्टर) की स्थापना हेतु रू0 10.00 लाख की बजटीय व्यवस्था अनुमोदित बजट की सीमा के अन्तर्गत किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
	08.	स्वामी हरिदास शोध संस्थान पीठ के नाम से स्थापना के लिये विश्वविद्यालय मद से रू0 20.00 लाख की बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही उक्त के सम्बन्ध में शासन से भी पत्राचार करते हुये बजट की मांग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
	09.	विश्वविद्यालय कैम्पस की प्रवेश परीक्षाओं व अन्य परीक्षाओं हेतु योजित शिक्षकों को रू0 500/–प्रतिपाली एवं तृतीय श्रेणी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को रू0 300/–प्रतिपाली एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू0 200/–प्रतिपाली परीक्षा पारिश्रमिक भुगतान किये जाने का आगामी 03 वर्षो के लिये समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
	10.	तृतीय दीक्षात समारोह हेतु पुस्तक आदि क्रय किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
	11.	तृतीय दीक्षात समारोह हेतु टेण्ट व भोजन व्यवस्था बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
	12.	*माँ–बेटी सम्मेलन कार्यक्रम* के आयोजन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त रू0 2.00 लाख की बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
	13.	तृतीय दीक्षान्त समारोह हेतु मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री के रूकने व सुरक्षा कर्मीयों के रूकने पर होने वाले व्यय का समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।
	14.	विश्वविद्यालय में चयनित ट्रैवल एजेन्सी की सेवाये 03 माह के लिये विस्तरण जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही 10वीं वित्त समिति की मद संख्या–10.22 में जेम पोर्टल के माध्यम से नवीन निविदा की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में माह जनवरी 2026 तक ट्रैवल एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे जिनका अभी तक पालन नही हुआ है जिस पर वित्त समिति द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

		रोष व्यक्त किया गया एवं एवं 03 माह के अन्दर जेम पोर्टल के माध्यम से नवीन फर्म का चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया गया।
	15.	वित्त समिति की 10वीं बैठक के मद संख्या–10.20(1) में लेखा विभाग में कार्य हेतु एक सेवानिवृत्त लेखाकार को रू0 25000/–(फिक्स वेतन) प्रतिमाह की दर से सेवा प्रदाता के माध्यम से रखा गया था किन्तु मानदेय कम होने के कारण कुछ माह बाद लेखाकार द्वारा सेवायें देने से मना कर दिया जिस कारण रू0 30000/–(फिक्स वेतन) प्रतिमाह पर सेवा प्रदाता के माध्यम से अग्रिम आदेशों अथवा नियमित नियुक्ति होने तक रखे जाने का समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
		उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

अन्त में मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी द्वारा समिति सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(निजिलिंगप्पा)
वित्त अधिकारी

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति

Scanned with OKEN Scanner